(91)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3876–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–9–2012 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, ग्वालियर प्रकरण कमांक 54/11–12/निगरानी.

देवनारायण पाल पुत्र रामभरोसे पाल
निवासी ग्राम महाराजपुरा तिघरा
हाल निवासी गोल पहाड़िया
तिघरा रोड, लश्कर, ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

शशि जादौन पत्नी विजेन्द्र सिंह जादौन
निवासी कम्पू बजरिया, लश्कर, ग्वालियर .....अनावेदिका

श्री एन0के0 पाण्डे, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16/4/13 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर, कलेक्टर, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–9–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका सहित अन्य के द्वारा सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख, ग्वालियर के समक्ष उनकी भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 49 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा प्रकरण कमांक 29/12 X19/11 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर दिनांक 5–5–2012 को सीमांकन कराया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 4–9–2012 को आदेश पारित कर प्रकरण में मिस ज्योण्डर का दोष पाते हुए समाप्त की गई । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर द्वारा यह निष्कर्ष निकालने में अवैधानिकता की गई है कि चार व्यक्तियों द्वारा भूमि

का सीमांकन चाहा गया था, परन्तु आवेदक द्वारा चारों व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, अतः प्रकरण में मिस ज्योण्डर का दोष है, क्योंकि अनावेदिका की भूमि आवेदक की भूमि में निकाली गई थी, इसलिए केवल अनावेदिका को ही पक्षकार बनाया गया था, जिसमें मिस ज्योण्डर का कोई दोष नहीं है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय को निगरानी में काफी अधिकार प्राप्त हैं, अतः यदि निगरानी में कोई दोष था, तब उन्हें प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर कार्यवाही कर न्याय प्रदान करना चाहिए था । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया सहायक अधीक्षक, भू–अभिलेख द्वारा सीमांकन में पड़ोसी कृषकों को कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, और स्थायी सीमा चिन्हों से सीमांकन नहीं किया गया है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदिका के विरूद्ध पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि चार व्यक्तियों द्वारा अपनी–अपनी भूमि का सीमांकन चाहा गया था, और चारों व्यक्तियों की भूमि का सीमांकन किया गया है, परन्तु अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी में केवल एक ही व्यक्ति को पक्षकार बनाया गया है । ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा निगरानी में मिस ज्योण्डर का दोष पाते हुए प्रकरण समाप्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, कारण सभी हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाने के कारण मिस ज्योण्डर की स्थिति अपर कलेक्टर के समक्ष प्रमाणित हुई है । अतः अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर, कलेक्टर, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–9–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर